

कार्यालय

पत्रांक: 4097/न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2020

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

दिनांक: 19.08.2020

मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थ्रेट लेवल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ के पत्र संख्या-1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31.05.2020 व पत्रांक-1821/2020-सीएक्स-3 दिनांक 24 जुलाई, 2020 के अनुसार जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-

शहरी क्षेत्र:-

- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 100 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।
- (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 200 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार बफर जोन का निर्धारण किया जायेगा।
- (3) आवासीय बहुमंजिला सोसाइटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जाएगी-
 - (i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-जोन घोषित किया जाएगा।
 - (ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैक्वेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।
- (4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में
 - (i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिकोण से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
 - (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।
- (5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए
 - (i) यदि एकल-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।
 - (ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा।ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या-4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र:-

- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी।
- (2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आएंगे।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020 दिनांक 19.08.2020 में अवगत कराया गया है कि "विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है, परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।"

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 106 हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील किये गये हैं, जिनमें 19-मौ0 राधानगर बुलन्दशहर, ईदगाह रोड बुलन्दशहर, मौ0 साटा नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर, आवास विकास द्वितीय, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर, टैगोर वाली गली कृष्णा नगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, एच0ब्लाक यमुनापुरम बुलन्दशहर, मौ0 गिरधारी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 इन्द्रलोक कालौनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 लोधगान, रेलवे रोड निकट गौरेशंकर डिग्री कालेज, लहसील बुलन्दशहर, मौ0 विष्णुपुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 शान्ती निकेतन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, पुलिस लार्ड रोड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, नजीमपुरा मूड, बुलन्दशहर, आवास विकास प्रथम, बुलन्दशहर, मौ0 शान्ती नगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 ज्ञानलोक कालौनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 राजनगर चंदपुर रोड नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 देवीपुरा-1, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 विष्णुपुरी

नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर बने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 87 हॉटस्पॉट— नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद, कायस्थवाड़ा, कस्बा व तहसील सिकन्द्राबाद, मौ० गांधी नगर, नगर पालिका क्षेत्र गुलावटी, ग्राम शिवाली, वि०ख० लखावटी तहसील अनूपशहर, ग्राम चोंदपुर, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, मौ० अहीरपाड़ा, नगरीय क्षेत्र, खुर्जा, ग्राम कुदैन, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, मौ० कानूनगोयान, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, मौ० नई बस्ती, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, गोरा मौहल्ला, ग्राम बाहपुर वि०ख० बी०बी०नगर व तहसील स्याना, चित्रकूट कालोनी, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम रहमापुर, वि०ख० दानपुर, तहसील डिबाई, प्राईमरी स्कूल वाला मौहल्ला, ग्राम नयागाँव वि०ख० व तहसील स्याना, ग्राम जुगसाना कंला वि०ख० जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम वीरखेड़ा, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, गली नं०-1, पहासू अड़ड़ा, जैना गैस्ट हाउस के पीछे, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, चावंड मौहल्ला, कस्बा वि०ख० व तहसील स्याना, शारदा मेरिज होम के सामने, जंक्शन रोड खुर्जा, आवास विकास कालोनी नगरीय क्षेत्र खुर्जा, अलीगढ़ चुंगी, निकट नव दुर्गा शक्ति मन्दिर, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, गौधी चौक, कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम माधवगढ़, वि०ख० जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम खिजराबाद, वि०ख० व तहसील अनूपशहर, ग्राम एत्मादसराय वि०ख० गुलावटी तहसील सदर, ग्राम कुरली वि०ख० गुलावटी तहसील सदर, ग्राम सनौटा वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम पाली बेगपुर वि०ख० लाखवटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम सराय छवीला, वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर, मौ०अहार गेट नगरीय क्षेत्र अनूपशहर, मौ०दिल्ली गेट नगरीय क्षेत्र अनूपशहर, ग्राम सलामतपुर उर्फ नेतानगर, वि०ख० व तहसील अनूपशहर, मौ०लोधगान कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ज्ञान लोक कालोनी(भारत गैस गोदाम) नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, ग्राम सैदपुर वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्याना, ग्राम सरगाँव वि०ख० व तहसील शिकारपुर, मौ०राधा कृष्ण नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम झमका वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम रतनपुर वि०ख० जहाँगीराबाद, मौ०गोपालपुरी नगर पंचायत नरौरा तहसील डिबाई, ग्राम बोहिच, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, मौ०आजमतारा कस्बा बी०बी०नगर तहसील स्याना, मौ० खाकरोवान कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, मौ०गोसाईयान, कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम कोटला, वि०ख० दानपुर, तहसील डिबाई, मौ० सत्यपुरी नगरीय क्षेत्र नरौरा, मौ० तेलियान निकट ईदगाह, कस्बा ककोड़, तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम बिरौली, वि०ख० व तहसील अनूपशहर, ग्राम हजरतपुर, वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम अहरोली, वि०ख० व तहसील खुर्जा, राम सिंह का बाड़ा, मदार दरवाजा, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, वैशाली कालोनी नगर पालिका परिषद खुर्जा, ग्राम किला मेवई वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम जैनपुर वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम आढा वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम बरौली वासदेवपुर, वि०ख० व तहसील स्याना, ग्राम शाहजादपुर वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम दौगवा वि०ख० व तहसील डिबाई, ग्राम श्यौपुरी वि०ख० व तहसील अनूपशहर, मौ०मुफतीवाड़ा, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, मौ०होली दरवाजा नगरीय क्षेत्र छतारी, तहसील शिकारपुर, ग्राम मीरपुर वि०ख० व तहसील खुर्जा, मौ०सराय कुन्दन नगरीय क्षेत्र डिबाई, ग्राम पौण्डरी वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, मौ०कायस्थवाड़ा नगरीय क्षेत्र जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम परली वि०ख० व तहसील अनूपशहर, ग्राम बरौली वि०ख० व तहसील शिकारपुर, मौ०चौधरीवाड़ा नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, सैनी धर्मशाला वाली गली, सुभाष रोड नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम ईस्माईलपुर बुटैना वि०ख० व तहसील खुर्जा, कसेर कलों वि०ख० व तहसील डिबाई, ग्राम बिलौनारूप, वि०ख० व तहसील डिबाई, डाक बंगला रोड, नगरीय क्षेत्र डिबाई, मौ० जोगीपाड़ा, नगरीय क्षेत्र डिबाई, ग्राम दरावर, वि०ख० व तहसील अनूपशहर, ग्राम मालागढ़ वि०ख० अगौता तहसील बुलन्दशहर, एन०ए०पी०पी० टाउनशिप, नरौरा तहसील डिबाई, मौ०काजीखेल नगर पंचायत पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम गंगागढ़ वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम ताजपुर वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम भमरा वि०ख० गुलावटी तहसील बुलन्दशहर, काकर की मढैया(बराल), वि०ख० गुलावटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम नगला सोही वि०ख०पहासू तहसील शिकारपुर, मौ०शिवपुरी नगरीय क्षेत्र पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम भौरा वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, मौ०चौक गली नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, ग्राम गोधना वि०ख० जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम जीवत वि०ख० लखावटी, तहसील बुलन्दशहर बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 19.08.2020 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-1871 है, 843 व्यक्ति होम क्वारेन्टाईन में है। जनपद में 39 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

महोदय यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संक्रमण न फैले, इस हेतु आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बाजार बन्द करने के निर्देश है। उपरोक्त स्थितियों में यदि वादकारियों के रूप से बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेंगे, जिससे माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में संक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त

अपर जिलाधिकारी—प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी—प्रशासन,
बुलन्दशहर।

गोपनीय

पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर

दिनांक-अगस्त 19, 2020

सेवा में,


अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा नियमों का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने व अनावश्यक दुकानों पर भीड़ एकत्रित न करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।


19/8/2020

प्रभारी निरीक्षक

स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-195/एक-11-2020/रा0-11 दिनांक 24 मार्च 2020 के द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 सपटित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2 उपधारा(जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है। वर्तमान में मा0मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन ने पत्रांक 1903/2020/सीएक्स-3 दिनांक 30-07-2020 के द्वारा अपने पूर्व पत्र दिनांक 30 जून 2020 में यथासंशोधन करते हुए अनलॉक-03 दिशा-निर्देश दिनांक 31-08-2020 तक जारी रखने के विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 543/चैव-5-2020 दिनांक 14 मार्च 2020 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 के अधीन उत्तर प्रदेश महामारी कोविड विनियमावली 2020 के प्रस्तर-12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रविन्द्र कुमार, जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर कोरोना वायरस से पीड़ित/संकमित मामलों के दृष्टिगोचर होने के परिणामस्वरूप तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव किये जाने के उद्देश्य से जनपद बुलन्दशहर के निम्नांकित कम सं० 103 से 106 पर अंकित क्षेत्रों/कन्टेनमेन्ट जोन को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार दिनांक 18 अगस्त, 2020 की सायं 09:00 बजे से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किये जाने का आदेश देता हूँ। अन्य कन्टेनमेन्ट जोन सम्मुख अंकित दिनांक से पूर्व में ही सील किये जा चुके हैं:-

क0सं0	कन्टेनमेंट जोन का नाम	घोषित दि०	थाना क्षेत्र
1	मौ० राधानगर, बुलन्दशहर ✓	21-06-2020	को०नगर बुलन्दशहर
2	ईदगाह रोड, बुलन्दशहर ✓	08-07-2020	को०नगर बुलन्दशहर
3	मौ० साठा, नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	10-07-2020	को०नगर बुलन्दशहर
4	नगरीय क्षेत्र औरगाबाद	17-07-2020	औरगाबाद
5	कायस्थवाडा, कस्बा व तहसील सिकन्द्राबाद	22-07-2020	सिकन्द्राबाद
6	आवास विकास-द्वितीय, नगर पालिका परिषद-बुलन्दशहर ✓	24-07-2020	को०नगर बुलन्दशहर
7	मौ० गाँधी नगर, नगर पालिका क्षेत्र गुलावटी	25-07-2020	गुलावटी
8	ग्राम शिवाली, वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर	25-07-2020	जहाँगीराबाद
9	ग्राम चोंदपुर, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर	26-07-2020	को०देहात बु०शहर
10	टैंगोर स्कूल वाली गली, कृष्णा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	28-07-2020	को०नगर बुलन्दशहर
11	एच ब्लॉक, यमुनापुरम नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर ✓	28-07-2020	को०देहात बु०शहर
12	मौ० गिरधारी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	29-07-2020	को०नगर बुलन्दशहर
13	मौ० अहीरपाडा, नगरीय क्षेत्र, खुर्जा	29-07-2020	खुर्जा नगर
14	ग्राम कुदैन, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर	31-07-2020	को०देहात बु०शहर
15	मौ० कानून गोयान, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर	01-08-2020	शिकारपुर
16	मौ० नई बरती, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	02-08-2020	खुर्जा नगर
17	गोरा मौहल्ला, ग्राम बाहपुर, वि०ख० बी०बी०नगर व तहसील स्याना	03-08-2020	बी०बी०नगर
18	मौ० इन्द्रलोक कालौनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	03-08-2020	को०नगर बुलन्दशहर
19	चित्रकूट कालौनी, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	03-08-2020	खुर्जा नगर
20	ग्राम रहमापुर, वि०ख० दानपुर, तहसील डिबाई	03-08-2020	डिबाई
21	प्राइमरी स्कूल वाला मौहल्ला, ग्राम नयागांव वि०ख० व तहसील स्याना	04-08-2020	स्याना
22	ग्राम जुगसाना कलों, वि०ख० जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	04-08-2020	जहाँगीराबाद
23	ग्राम वीरखेड़ा, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद	04-08-2020	सिकन्द्राबाद
24	गली नं० 1, पहासू अड्डा, जैना गैस्ट हाउस के पीछे, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	04-08-2020	खुर्जा नगर
25	मौ० लोधगान, रेलवे रोड निकट गौरी शंकर डिग्री कालेज, तहसील बु०शहर ✓	05-08-2020	को०नगर बु०शहर
26	मौ० विष्णुपुरम्, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर ✓	06-08-2020	को०नगर बु०शहर
27	चावड मौहल्ला, कस्बा, वि०ख० व तहसील स्याना	06-08-2020	स्याना
28	शारदा मैरिज होम के सामने, जंक्शन रोड, खुर्जा	06-08-2020	खुर्जा नगर
29	आवास विकास कालौनी, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	06-08-2020	खुर्जा नगर
30	अलीगढ बुंगी, निकट नव दुर्गा शक्ति मन्दिर, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	06-08-2020	खुर्जा नगर
31	गाँधी चौक, कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	06-08-2020	खुर्जा नगर
32	ग्राम माधवगढ, वि०ख० जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	06-08-2020	जहाँगीराबाद
33	ग्राम खिजराबाद, वि०ख० व तहसील अनूपशहर	07-08-2020	खानपुर
34	ग्राम एत्मादसराय, वि०ख० गुलावटी तहसील सदर	07-08-2020	जहाँगीराबाद
			को०देहात बु०शहर

35	ग्राम कुरली, वि०ख० गुलावटी, तहसील सदर	07-08-2020	गुलावटी
36	ग्राम सर्नाटा, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद	07-08-2020	सिकन्द्राबाद
37	ग्राम पाली बेगपुर, वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर	08-08-2020	औरंगाबाद
38	ग्राम सराय छबीला, वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर	08-08-2020	को०देहात बु०शहर
39	मौ० शान्ति निकेतन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	08-08-2020	को०नगर बु०शहर
40	मौ० अहार गेट, नगरीय क्षेत्र अनूपशहर	08-08-2020	अनूपशहर
41	मौ० दिल्ली गेट, नगरीय क्षेत्र अनूपशहर	08-08-2020	अनूपशहर
42	ग्राम सलामतपुर उर्फ नेतानगर, वि०ख० व तहसील अनूपशहर	08-08-2020	अनूपशहर
43	मौ० लोधयाना, कस्बा जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	08-08-2020	अनूपशहर
44	ज्ञान लोक कालोनी (भारत गैस गोदाम), नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद	08-08-2020	जहाँगीराबाद
45	ग्राम सैदपुर, वि०ख० बी०बी०नगर, तहसील स्याना	08-08-2020	सिकन्द्राबाद
46	ग्राम सरगौव, वि०ख० व तहसील शिकारपुर	08-08-2020	बी०बी० नगर
47	मौ० राधा कृष्ण, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	08-08-2020	शिकारपुर
48	ग्राम झमका, वि०ख० व तहसील खुर्जा	08-08-2020	खुर्जा नगर
49	ग्राम रतनपुर वि०ख० जहाँगीरबाद	08-08-2020	खुर्जा नगर
50	मौ० गोपालपुरी, नगर पंचायत नरौरा तहसील डिबाई	08-08-2020	औरंगाबाद
51	पुलिस लाईन रोड, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर ✓	09-08-2020	नरौरा
52	ग्राम बोहिच, वि०ख० व तहसील शिकारपुर	09-08-2020	को०नगर बुलन्दशहर
53	मौ० आजमतारा, कस्बा बी०बी०नगर, तहसील स्याना	10-08-2020	शिकारपुर
54	मौ० खाकरोवान, कस्बा जहाँगीराबाद, तहसील अनूपशहर	10-08-2020	बी०बी० नगर
55	मौ० गोसाईयान, कस्बा जहाँगीराबाद, तहसील अनूपशहर	10-08-2020	जहाँगीराबाद
56	ग्राम कोटला, वि०ख० दानपुर तहसील डिबाई	10-08-2020	जहाँगीराबाद
57	मौ० सत्यपुरी, नगरीय क्षेत्र नरौरा	11-08-2020	अनूपशहर
58	मौ० तेलियान, निकट ईदगाह, कस्बा ककोड तहसील सिकन्द्राबाद	11-08-2020	नरौरा
59	ग्राम बिरौली, वि०ख० व तहसील अनूपशहर	11-08-2020	ककोड
60	नजीमपुरा मूड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	11-08-2020	अनूपशहर
61	आवास विकास प्रथम, बुलन्दशहर ✓	11-08-2020	को०नगर बुलन्दशहर
62	ग्राम हजरतपुर, वि०ख० व तहसील खुर्जा	11-08-2020	को०नगर बुलन्दशहर
63	ग्राम अहरोली, वि०ख० व तहसील खुर्जा	11-08-2020	खुर्जा देहात
64	राम सिंह का बाड़ा, मदार दरवाजा, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	11-08-2020	खुर्जा नगर
65	वैशाली कालोनी, नगर पालिका परिषद खुर्जा	11-08-2020	खुर्जा नगर
66	ग्राम किला मवई वि०ख० व तहसील खुर्जा	12-08-2020	खुर्जा नगर
67	ग्राम जैनपुर, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर	12-08-2020	खुर्जा नगर
68	ग्राम आढा, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद	12-08-2020	को०देहात बु०शहर
69	ग्राम बरौली वासदेवपुर, वि०ख० व तहसील स्याना	12-08-2020	सिकन्द्राबाद
70	ग्राम शहजादपुर, वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर	13-08-2020	स्याना
71	ग्राम दौगवां, वि०ख० व तहसील डिबाई	13-08-2020	औरंगाबाद
72	ग्राम शिवपुरी, वि०ख० व तहसील अनूपशहर	13-08-2020	डिबाई
73	मौ० मुफ्तीवाडा, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर	13-08-2020	अहमदगढ़
74	मौ० होली दरवाजा, नगरीय क्षेत्र छतारी, तहसील शिकारपुर	13-08-2020	शिकारपुर
75	ग्राम मीरपुर, वि०ख० व तहसील खुर्जा	13-08-2020	छतारी
76	मौ० सराय कुन्दन, नगरीय क्षेत्र डिबाई	13-08-2020	खुर्जा नगर
77	ग्राम पोण्डरी, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर	14-08-2020	डिबाई
78	मौ० शास्त्री नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	14-08-2020	को०देहात बु०शहर
79	मौ० ज्ञान लोक कालोनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	14-08-2020	को०नगर बुलन्दशहर
80	मौ० राजनगर, चोंदपुर रोड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	14-08-2020	को०नगर बुलन्दशहर
81	मौ० कायस्थवाडा, नगरीय क्षेत्र जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	14-08-2020	को०नगर बुलन्दशहर
82	ग्राम फारली, वि०ख० व तहसील अनूपशहर	14-08-2020	जहाँगीराबाद
83	ग्राम बरौली, वि०ख० व तहसील शिकारपुर	14-08-2020	अनूपशहर
84	मौ० चौधरीवाडा, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद	14-08-2020	शिकारपुर
85	सैनी धर्मशाला वाली गली, सुमाष रोड, नगरीय क्षेत्र खुर्जा	14-08-2020	सिकन्द्राबाद
86	ग्राम ईस्माईलपुर बुटेना, वि०ख० व तहसील खुर्जा	14-08-2020	खुर्जा नगर

87	मौ0 देवीपुरा-1, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	15-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
88	कसेर कलौं, वि0ख0 व तहसील डिबाई ✓	15-08-2020	डिबाई
89	ग्राम बिलौनारूप, वि0ख0 व तहसील डिबाई	15-08-2020	डिबाई
90	डाक बंगला रोड, नगरीय क्षेत्र डिबाई	15-08-2020	डिबाई
91	मौ0 जोगीपाड़ा, नगरीय क्षेत्र डिबाई	15-08-2020	डिबाई
92	ग्राम दरावर, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर	15-08-2020	अहार
93	ग्राम मालागढ़, वि0ख0 अगौता तहसील बुलन्दशहर	16-08-2020	अगौता
94	एन0ए0पी0पी0 टाउनशिप, नरौरा तहसील डिबाई	16-08-2020	नरौरा
95	मौ0 काजीखेल, नगर पंचायत पहासू तहसील शिकारपुर	16-08-2020	पहासू
96	ग्राम गंगागढ़, वि0ख0 पहासू तहसील शिकारपुर	16-08-2020	पहासू
97	ग्राम ताजपुर, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर	17-08-2020	को0देहात बु0शहर
98	ग्राम भमरा, वि0ख0 गुलावटी, तहसील बुलन्दशहर	17-08-2020	गुलावटी
99	काकर की मढ़ैया (बराल), वि0ख0 गुलावटी तहसील बुलन्दशहर	17-08-2020	गुलावटी
100	मौ0 शिवपुरी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ✓	17-08-2020	को0नगर बुलन्दशहर
101	ग्राम नगला सोही, वि0ख0 पहासू तहसील शिकारपुर	17-08-2020	पहासू
102	मौ0 शिवपुरी, नगरीय क्षेत्र पहासू तहसील शिकारपुर	17-08-2020	पहासू
103	ग्राम भौरा, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	18-08-2020	ककोड
104	मौ0 चौक गली, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर	18-08-2020	शिकारपुर
105	ग्राम गोधना, वि0ख0 जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	18-08-2020	जहाँगीराबाद
106	ग्राम जीवत, वि0ख0 लखावटी तहसील बुलन्दशहर	18-08-2020	को0देहात बु0शहर

मा0 मुख्य सचिव, गृह (गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31-05-2020 व पत्रांक 1821/2020-सीएक्स-3 दिनांक 24 जुलाई, 2020 के अनुसार कन्टेनमेंट जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है कि:-

- शहरी क्षेत्र:-**
- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 100 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो ।
 - (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 200 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार बफर जोन का निर्धारण किया जायेगा।
 - (3) आवासीय बहुमंजिला सोसायटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जायेगी-
 - (i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-जोन घोषित किया जाएगा।
 - (ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैक्वेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।
 - (4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में-
 - (i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
 - (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।
 - (5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए
 - (i) यदि एकल-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।
 - (ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा। ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या- 4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्र:-**
- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी।
 - (2) यदि गाँव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरों की आबादी कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गाँव के इर्द-गिर्द पडने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आयेगे।

कन्टेनमेंट जोन में निम्न प्रकार व्यवस्था रहेगी:-

- 1- कन्टेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह भी सन्निहित किया गया है कि जो भी व्यक्ति कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश करेगा उसे चेक किया जाएगा।

- स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।
- 2- कन्टेनमेंट जोन में सघन कन्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होगी।
 - 3- कन्टेनमेंट जोन का आकार यथासंभव इस प्रकार रखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हो।
 - 4- कन्टेनमेंट-जोन के बाहर ऐसे क्षेत्र जहाँ नये केस होने की सम्भावना हो उन्हें बफर जोन के रूप में चिह्नित किया जाएगा जिनके अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी/जिला-प्रशासन अपने स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत करेंगे।
 - 5- कन्टेनमेंट जोन में शत प्रतिशत घरों की स्वास्थ्य जाँच एवं सेनीटाइजेशन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा फायर इंजन से Disinfectant का छिड़काव किया जायेगा। लोगों को फेस मास्क भी वितरित किये जायेंगे।
 - 6- कन्टेनमेंट जोन में डॉक्टर सहित एम्बुलेंस लगायी जायेगी। यदि किसी को अस्पताल ले जाना हो तो उसे एम्बुलेंस या A.L.S. से ले जाया जायेगा। किसी भी दशा में निजी वाहन-प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त सम्बन्धित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कंट्रोल रूम 7839791647 अथवा श्री बी० के० श्रीवास्तव, डी०एम०ओ० (गो०न० 9412425890) से सम्पर्क कर सकते हैं।
 - 7- कन्टेनमेंट जोन में सघन पैट्रोलिंग की जायेगी तथा 112 वाहनों की विशेष ड्यूटी लगायी जायेगी। पुलिस तथा 112 की गाड़ियों से लाउडस्पीकर से घोषणा करके जनता को जागरूक किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति फिर भी धारा-144 प्र०स० के निर्देशों का उल्लंघन करेगा, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
 - 8- कन्टेनमेंट जोन में सेक्टर-स्कीम लागू की जायेगी तथा पिकेट ड्यूटी लगायी जायेगी।
 - 9- कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों के पूर्व में निर्गत किये गये पास निरस्त किये जाते हैं।
 - 10- उक्त अवधि में निर्धारित प्रादकाल के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास (इंटर) में ही रहेंगे। उक्त आदेशों का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15(पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन 1980) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जायेगा। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

जिला मजिस्ट्रेट,
बुलन्दशहर।

दिनांक: 18 अगस्त, 2020

पृष्ठांकन संख्या: 143 / एस०टी०-डी०एम०/2020

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मा० मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्रांक सं०40-3/2020-डीएम-ए/ए दिनांक 29 जुलाई 2020 एवं मा० मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन, लखनऊ के संदर्भित पत्र के प्रस्तर 4(11) के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 5- प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 6- आयुक्त गेरठ मण्डल गेरठ।
- 7- उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर।
- 8- वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश का प्रभावी अनुपालन कराये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा प्रतिबन्धित क्षेत्र में नियुक्त मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाने का कष्ट करें।
- 9- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 10- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रतिबन्धित स्थलों पर मजिस्ट्रेट की रोस्टरवार ड्यूटी लगाते हुए तैनाती आदेश जारी करायें।
- 11- अपर जिलाधिकारी (वि०/सा०)/(न्यायिक), बुलन्दशहर।
- 12- अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/देहात, बुलन्दशहर।
- 13- मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि प्रतिबन्धित क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्र में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सैनिटाइजेशन, स्टाफ डिप्लॉयमेंट आदि यथा वॉंछित कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
- 14- नगर मजिस्ट्रेट/सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी, जनपद बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि आदेश की प्रति सम्बन्धित स्तर पर चरपा कराते हुए परिसर एवं आस-पास इसकी विधिवत घोषणा कराकर सूचित करायें। साथ ही चिकित्सा एवं पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 15- समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, जनपद बुलन्दशहर को अनुपालनार्थ
- 16- नियंत्रक, सिविल डिफेंस, नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
- 17- जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 18- समस्त संबंधित को अनुपालनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट,
बुलन्दशहर।